सं.एफ.12018/5/2016-डीएफक्यूसी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011

नई दिल्ली -110011, 10 मार्च, 2017

<u>अधिसूचना</u>

यह मंत्रालय अपने अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता: में केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (सीडीटीएल), चेन्नई और मुंबई और क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़, केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन में निदेशक के मौजूदा पद के भर्ती नियमों के संशोधन प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में मसौदा भर्ती नियम तैयार किए जा चुके हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं।

2. भर्ती नियमों के संशोधन प्रस्ताव को डीओपीटी, यूपीएससी तथा अन्य एजेंसियों को भेजने से पूर्व इस संबंध में सभी पणधारियों की टिप्पणियां आमंत्रित हैं जो इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर भेजी जाएं। पणधारियों से निर्धारित अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार मंत्रालय विचार करेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नं. 414 ए, डी विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 में भेजी जाएं और सॉफ्ट प्रति rg.singh72@nic.in पर भेजी जाए।

(आर.जी. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23063019

अखिल भारत
अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक,के.औ. प्रयोगशाला/ के.औ.परीक्षण प्रयोगशाला /क्षे.औ.परी. प्रयोगशाला	04* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। के.औष.प्रयो., कोलकाता-1 के.औ.परी. प्रयो. चेन्नई-1 के.औ.परी. प्रयो. मुंबई -1 क्षे.औ.परी. प्रयो.चंडीगढ़-1	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल-13 (1,18,500 – 2,14,100 रु	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण-1** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है **टिप्पण-2** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख होगी।	**आवश्यक:-** (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फार्मेसी अथवा बॉयोटेक्नोलॉजी अथवा रसायन विज्ञान अथवा भेषज रसायन विज्ञान अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) औषधि/प्रसाधन सामग्री परीक्षण का 12 वर्ष का अनुभव। (iii)उपयुक्त वैज्ञानिक पत्रिकाओं में वैज्ञानिक प्रकाशन। **वांछनीय:-** फार्मेसी अथवा बॉयोटेक्नोलॉजी अथवा रसायन विज्ञान अथवा भेषज रसायन विज्ञान अथवा फार्मा कॉलोजी अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री टिप्पण : अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, चयन के किसी भी स्तर पर, यदि आयोग की यह राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो इसके कारण रिकॉर्ड करते हुए कर्मचारी चयन आयोग विवेकानुसार, अनुभव संबंधी अर्हता में ढील दे सकेगा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
8	9	10	11
आयु- नहीं शैक्षिक योग्यता – हाँ	एक वर्ष	66.67% सीधी भर्ती से और 33.33% पदोन्न्ति से जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति:-** सीडीएल/सीडीटीएल/आरडीटीएल के वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 के उपनिदेशक (78,800 -2, 09, 200) (संशोधित) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा **टिप्पण:-** सीडीएल/सीडीटीएल/आरडीटीएल में उपनिदेशक की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति के विचारार्थ पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

यदि विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति अस्तित्व में है तो उसका गठन	भर्ती के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
स्थायीकरण के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति (1) अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय –सदस्य (3) औषधि महानियंत्रक (भारत) - सदस्य पदोन्नित के लिए विभागीय पदोन्नित समिति (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष (2) सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय –सदस्य (3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक/स्वास्थ्य सेवा विशेष महानिदेशक -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।